UPJS010061912024

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।</u>

उपस्थितः–शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड–UP1646

CNR NO–UPJS01–006191–2024

फौजदारी अपील संख्या–81/2024

पप्पू खाँ उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र फूल खाँ, निवासी–शारदा माई घसरपुरा, कस्बा व थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी।

------अपीलार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1– सरकार उत्तर प्रदेश।

2– कमलापत राय उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्व० गोविन्द दास, निवासी–शारदा माई घसरपुरा, कसबा व थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी।

-----प्रत्यर्थीगण/परिवादी

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत फौजदारी अपील अपीलार्थी/अभियुक्त पप्पू खाँ द्वारा सरकार उत्तर प्रदेश एवं कमलापत राय के विरूद्व परिवाद संख्या–869/2019 कमलापत राय बनाम पप्पू खाँ, धारा–138 एन०आई० एक्ट, थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०(14 वाँ वित्त आयोग), झाँसी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांकित–11.09.2024 से व्यथित होकर अंतर्गत धारा–415 बी०एन०एस०एस० सत्र न्यायालय में दिनांक–04–10–2024 को संस्थित की गयी।

प्रस्तुत दाण्डिक अपील सत्र न्यायालय में दिनांक–04–10–2024 को अंगीकृत एवं पंजीकृत होने के उपरान्त माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक–04–11–2024 के अनुपालन में दिनांक–06–11–2024 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

अपील को जन्म देने वाले सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी कमलापत राय ने अपीलार्थी/अभियुक्त पप्पू खाँ के विरूद्ध, विपक्षी/अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रदत्त चैक के अनादृत होने के कारण अभियुक्त को दण्डित कराने एवं चैक धनराशि व उस पर प्रतिकर, जो न्यायालय उचित समझे, अभियुक्त से परिवादी को दिलाये जाने के आशय से परिवाद सं०–869/2019 अंतर्गत धारा–138 एन०आई० एक्ट, थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०(14 वाँ वित्त आयोग), झाँसी के न्यायालय में योजित किया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि परिवादी, अभियुक्त को भली–भाँति जानता है। अभियुक्त ने अपनी जमीन आराजी नं०–4263 स्थित मौजा फुटैरा, बरूआसागर, झाँसी के जुज भाग में 2 किता प्लाट क्रमशः 1370.82 वर्गमीटर एवं 694.70 वर्गमीटर, परिवादी एवं परिवादी के पुत्र निशांत राय के नाम विक्रय करने का सौदा 5,50,000/–रूपये में तय किया था एवं दिनांक 07.10.2013 को 4,80,000/–रूपये नगद प्राप्त कर सब–रजिस्ट्रार झाँसी के समक्ष हाजिर होकर उक्त दोनों प्लॉट्स का मुहायदानामा परिवादी एवं परिवादी के पुत्र निशांत राय के नाम दिनांक 08–10–2013 को रजिस्टर्ड कराया था। उक्त मुहायदावय रजिस्टर्ड होने के बाद परिवादी ने अभियुक्त से अनेक बार मौखिक रूप से व दिनांक 03–10–2015 को लिखित रूप से शेष 80,000/–रूपये प्राप्त कर दोनों प्लाटों का बैनामा परिवादी व परिवादी के पुत्र निशांत राय के नाम करने का निवेदन किया, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार टाल–मटोली करता रहा और बैनामा रजिस्टर्ड नहीं कराया। परिवादी ने परेशान होकर कस्बा के सम्मानित एवं प्रभावशाली लोगों को सारी बात

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.07.15 17:13:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बताकर अभियुक्त की शिकायत की, जिस पर अभियुक्त को बुलाये जाने पर अभियुक्त ने कस्बा के सम्मानित लोगों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुये परिवादी से निवेदन किया कि वह उक्त प्लॉटों को अब बेचना नहीं चाहता है और परिवाद से लिए रूपये मय ब्याज एवं हर्जाना, परिवादी को 8,50,000/-रूपये अदा करने को तैयार है, जिस पर सम्मानित लोगों के समझाने एवं अभियुक्त से दोस्ताना रिश्ता होने के कारण परिवादी ने सहमति दे दी। अभियुक्त ने उक्त रकम अदायगी के एवज में दिनांक 10-01-2019 को सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा बरूआसागर, झाँसी के अपने बैंक खाता सं०-94042100000673 आई०एफ०एस०सी० कोड-PUNOSUPGB5 के दो चैक क्रमशः चैक संख्या-692515 दिनांकित 10-01-2019 मुवलिग 4,00,000/-रूपये की एवं चैक संख्या-692513 दिनांकित 10-01-2019 मुवलिग 4,50,000/-रूपये की परिवादी के नाम जारी कर परिवादी को दी। अभियुक्त द्वारा परिवादी के नाम जारी की गई उक्त दोनों चैकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए परिवादी ने उन्हें अपने बैंक खाता स्थित पंजाब नैशनल बैंक, शाखा बरूआसागर में जमा किया। दिनांक 23-02-2019 को परिवादी के बैंक ने परिवादी को ज्ञापन तारीखी 22-02-2019 सहित यह सूचना दी कि उसके द्वारा दाखिल उक्त दोनों चैकों के भुगतान हेतु अभियुक्त के खाता में पर्याप्त धनराशि मौजूद नहीं है, इसलिए उक्त दोनों चैकों से भुगतान सम्भव नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों चैकें अनादृत हो गई। बैंक से जानकारी प्राप्त होने पर परिवादी ने अभियुक्त को उक्त तथ्य से अवगत कराया और उक्त अदायगी के एवज में नगद रूपये का भुगतान करने को कहातो अभियुक्त टाल-मटोल करने लगा, तब मजबूर होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया,तब उनके माध्यम से दिनांक 07-03-2019 को रजिस्टर्ड डिमाण्ड नोटिस अभियुक्त को उसके सही पते पर भेजा, जो अभियुक्त पर दिनांक 08-03-2019 को तामील हुआ, इसके बाद भी नियत समय गुजरने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को उसका पैसा अदा नहीं किया। अतः उक्त आधार पर अभियुक्त पप्पू खाँ को धारा-138 एन०आई० एक्ट के दण्डनीय अपराध में तलब कर दण्डित कराने एवं परिवादी को चैक धनराशि व उस पर प्रतिकर अभियुक्त से दिलाये जाने के आशय से दिनांक 03-04-2019 को यह परिवाद दायर किया गया।

परिवाद कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य अंतर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० सपठित धारा-145 एन०आई०एक्ट में परिवादी कमलापत राय ने स्वयं को जरिए साक्ष्य शपथपत्र, परीक्षित कराया।

परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची-6 ए से सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक,शाखा बरूआसागर,झाँसी की एक किता असल चैक सं०-692515 अंकन मु०-4,00,000/-रूपये दिनांकित 10-01-2019 कागज सं०-7 ए/1 व एक किता असल चैक सं०-692513 अंकन मु०-4,50,000/-रूपये दिनांकित 10-01-2019 कागज सं०-7 ए/2,चैक सं०-692515 के अनादरण के सम्बन्ध में एक किता असल बैंक मैमो दिनांकित 22-02-2019 कागज सं० 8 ए/1 व चैक सं०-692513 के अनादरण के सम्बन्ध में एक किता असल बैंक मैमो दिनांकित 22-02-2019 कागज सं०-8 ए/2,विधिक डिमाण्ड नोटिस की छायाप्रति दिनांकित 07-03-2019 कागज सं०-9 ए/1 ता 9 ए/2,असल डाक रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 07-03-2019 कागज सं०-10 ए,नोटिस ट्रैकिंग ई-स्टेटमैंट कागज सं०-11 ए तथा पहचानपत्र (EPIC) की छायाप्रति कागज सं० -12 ए एवं सूची-22 ए से एक किता असल मुहायदानामा कागज सं०-23 ए/1 लगायत 23 ए/10 व विधिक नोटिस की कार्बन प्रति 24 ए दाखिल की गई ।

उपर्युक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया विचारण हेतु पर्याप्त आधार पाए जाने पर विपक्षी/अभियुक्त पप्पू खाँ को आदेश दिनांकित 13-02-2020 द्वारा धारा-138 एन०आई० एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्त

न्यायालय में हाजिर आया व आत्मसमर्पण किया, जिसपर दिनांक 06–12–2021 को उसे जमानत पर रिहा किया गया।

दिनांक 02–12–2022 को अभियुक्त पप्पू खाँ का बयान अंतर्गत धारा–251 दं०प्र०सं० दर्ज किया गया। बयान अंतर्गत धारा–251 दं०प्र०सं० में अभियुक्त ने परिवाद कथानक को गलत बताया तथा कहा कि मुकदमा झूठा चला है और वह विचारण चाहता है।

विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०(14 वाँ वित्त आयोग), झाँसी ने अपीलार्थी/अभियुक्त एवं प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन करके आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित करते हुए परिवाद संख्या–869/2019, कमलापत राय बनाम पप्पू खाँ, अपराध धारा–138 एन०आई० एक्ट, थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी के मामले में अभियुक्त **पप्पू खाँ** को धारा–138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** पाते हुए **01 वर्ष** के साधारण कारावास एवं मुवलिग 13,00,000/–रूपये (तेरह लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड में से12,50,000/–रूपये (बारह लाख पचास हजार रूपये) की धनराशि परिवादी को चैक राशि, हर्जा–खर्चा व प्रतिकर के रूप में प्राप्त होगी तथा शेष 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये), राजकोष में अर्थदण्ड के रूप मेंजमा किये जायेंगे। उक्त अधिरोपित राजकोषीय अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा कोई धनराशि, न्यायालय के समक्ष पूर्व में अदा की गई हो तो उक्त धनराशि, परिवादी को प्राप्त होने वाली अर्थदण्ड राशि में समायोजित होगी व शेष अर्थदण्ड की राशि परिवादी को प्राप्त कराये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांकित–11–09–2024 से व्यथित होकर प्रश्नगत फौजदारी अपील संस्थित की गयी है।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील में यह आधार लिए गये है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का भलि–भाँति अवलोकन न करके एवं पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का भलि–भांति अवलोकन न करके नजर अन्दाज करते हुये निर्णय देने में कानूनी गम्भीर भूल की गई है। विपक्षी/परिवादी द्वारा जो पंजीकृत मुहायदानामा स्थित मौजा फुटेरा बरूआसागर जिला झाँसी की भूमि सं०–4263 के जुज भाग में स्थित है, का बताया गया है वह मुहायदानामा अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07–10–2013 म्याद 2 वर्ष का किया गया था तत्पश्चात अपीलकर्ता एवं परिवादी का आपस में सम्भ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष बैठकर राजीनामा हो गया था और यह तय हुआ था कि अपीलकर्ता मध्यस्थ ओमी कुशवाहा के पास अपने खाते की चैक अमानत के तौर पर दे दें जिससे अपीलकर्ता द्वारा अपने सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा बरूआसागर की एक चैक सं०–692513 व दूसरी चैक सं०–692515 अपने हस्ताक्षर करके मध्यस्थ ओमी कुशवाहा को अमानत के तौर पर रखने को दी थी। जिनको अपीलकर्ता की बिना जानकारी में परिवादी/विपक्षी द्वारा ओमी कुशवाहा से प्राप्त कर प्राप्त चैकों में धनराशि व अन्य विवरण गलत तरीके से भरके अपीलकर्ता को परेशान व ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से बाउन्स करायी गयी है जबकि समझौते में मात्र जो रूपया मुहायदानामा के समय दिया गया था उसी रूपया को वापिस करने या फिर परिवादी/विपक्षी के कहे अनुसार दूसरे व्यक्ति के पक्ष में बैनामा करने के लिये हुआ था। इस बात पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके कानूनी गम्भीर भूल की है। यह बात इससे भी स्पष्ट होती है कि अपीलकर्ता द्वारा अगर विपक्षी/परिवादी को चैक दी जाती तो अपीलकर्ता एक चैक परिवादी/विपक्षी व दूसरी चैक उसके पुत्र निशान्त राय को देता क्योंकि मुहायदानामा दिनांक 07–10–2013 परिवादी/विपक्षी व उसके पुत्र निशान्त राय के पक्ष में निस्पादित किया गया था।

इस बात पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न करके निर्णय देने में कानूनी गम्भीर भूल की है। समझौते के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा परिवादी/विपक्षी द्वारा परिवादी/विपक्षी के दूसरे पुत्र प्रशान्त राय के कहे अनुसार मुहायदानामा में दर्शित भूमि/प्लाट का बैनामा उनके मेली किशन कुमार कुशवाहा के पक्ष के एक बैनामा दिनांक 06-10-2018 व इसी दिनांक को एक और बैनामा श्रीमती चन्पा देवी के पक्ष में निस्पादित कर दिया और बैनामा में अंकित धनराशि परिवादी/विपक्षी व उसके पुत्र ने अपने पास रख ली यह बात इससे भी स्पष्ट है कि किशन कुमार कुशवाहा के पक्ष में निस्पादित बैनामा में परिवादी/विपक्षी का पुत्र प्रशान्त राय स्वयं गवाह है यह तथ्य प्रस्तुत अपील के साथ फेहरिस्त के मुताबिक दाखिल बैनामा दिनांक 06-10-2018 से स्पष्ट होता है कि परिवादी/विपक्षी द्वारा जो चैकें अपीलकर्ता द्वारा अमानत के तौर पर मात्र अपने हस्ताक्षर करके परिवादी/विपक्षी के मेली मध्यस्थ ओमी कुशवाहा के पास रखी थी उनका उपयोग परिवादी/विपक्षी द्वारा मध्यस्थ ओमी कुशवाहा से मिलकर अपीलकर्ता को परेशान करने व ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से परिवादी दाखिल किया गया था। समझौते के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा परिवादी/विपक्षी के कहे अनुसार अपीलकर्ता द्वारा अपने बैंक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरूआसागर के खाता सं०-35769551794 से परिवादी/विपक्षी के पुत्र प्रशान्त राय को मु०-7,50,000/-रू० चैक सं०-893656 से दिनांक 25-05-2018 को अदा किये जा चुके है। यह बात प्रस्तुत अपील के साथ फेहरिस्त के मुताबक बैंक स्टेटमेन्ट से स्पष्ट होती है एवं अपीलकर्ता द्वारा जो अपनी साक्ष्य डी०डब्लू०-1 व डी०डब्लू०-2 के रूप में दाखिल की है कि उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिवाद पत्र में दर्शित चैकों को अपीलकर्ता के मांगने पर विपक्षी/परिवादी द्वारा वापिस नहीं की गयी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जिस दिनांक को परिवादी/विपक्षी का धारा-200 जा०फौ० का ब्यान दाखिल होना कहा जाता है उस दिनांक को परिवादी/विपक्षी के विचारण न्यायालय की पत्रावली में आर्डरशीट पर हस्ताक्षर भी नहीं है क्योंकि परिवादी/विपक्षी उक्त दिनांक को जिला कारागार झाँसी में मु०अ०सं०-117/2018 धारा-376 भा०दं०सं० के केस में निरूद्ध था तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई भी प्रार्थनापत्र न्यायालय में उपस्थित होकर धारा-200 जा०फौ० के ब्यान दाखिल करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही न्यायालय से धारा-200 जा०फौ० के ब्यान हेतु कोई परमीशन ली गयी। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली में परिवादी/विपक्षी का धारा-200 जा०फौ० का ब्यान फर्जी तरीके से दाखिल किया गया है एवं जिस भूमि का मुहायदानामा होना कहा गया है वह भूमि जमानत के तौर पर बन्धक थी एवं विवाद मुहायदानामा के सम्बन्ध में था जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है धारा-138 एन०आई०एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इन बिन्दुओं पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न करके निर्णय देने में कानूनी गम्भीर भूल की है। अपीलकर्ता एक सीधा-साधा गरीब व्यक्ति है तथा परिवादी/विपक्षी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालयों में गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध के तहत कई मुकदमें विचाराधीन है। परिवादी/विपक्षी द्वारा ओमी कुशवाहा से लेकर अपीलकर्ता के साथ विश्वासघात करते हुये झूठा परिवाद विचारण न्यायालय में दाखिल किया गया। जिस पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न करके निर्णय देने में कानूनी गम्भीर भूल की है। परिवादी/विपक्षी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र में तथा वकील के द्वारा प्रेषित नोटिस में भी यह उल्लिखित नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा परिवादी/विपक्षी को किस स्थान पर, किस समय, किस व्यक्ति के सामने चैकें दी गयी थी। उक्त कथन उल्लिखित न होने पर सम्पूर्ण कार्यवाही व परिवाद चलनसार ही नहीं था। इस तथ्य पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न करके निर्णय देने में कानूनी गम्भीर भूल की है। अपीलार्थी/अभियुक्त पप्पू खाँ ने उक्त

आधारों पर अपील स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०(14 वाँ वित्त आयोग), झाँसी द्वारा परिवाद संख्या–869/2019 कमलापत राय बनाम पप्पू खाँ, धारा–138 एन०आई० एक्ट, थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी में विद्वान पारित निर्णय/आदेश दिनांकित–11.09.2024 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में शपथपत्र कागज संख्या–7 बी/1 लगायत 7 बी/2, परिवाद संख्या–869/2019 में पारित आक्षेपित आदेश/निर्णय दिनांक–11–09–2024 कागज संख्या–8 बी/1 लगायत 8 बी/7 की सत्यप्रतिलिपि तथा सूची –9 बी से एक किता स्टेटमेन्ट एस०बी०आई० झाँसी कागज संख्या–10 बी/1, एक किता स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास बुक कागज संख्या–10 बी/2 लगायत 10 बी/3, एक किता नकल खतौनी कागज संख्या–10 बी/4 लगायत 10 बी/7 प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं आक्षेपित आदेश/निर्णय एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान मुख्य रूप से अपील का आधार यह लिया गया है कि अपीलकर्ता ने ओमी कुशवाहा के पास अपने खाते की चैक अमानत के तौर पर दे दी थी जिनको अपीलकर्ता की बिना जानकारी में परिवादी /विपक्षी द्वारा ओमी कुशवाहा से प्राप्त कर प्राप्त चैकों में धनराशि व अन्य विवरण गलत तरीके से भरकर अपीलकर्ता को परेशान व ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उसे अनादृत कराया गया। अपीलार्थी एवं विपक्षी के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें मात्र जो रूपया मुहायदानामा के समय दिया गया था उसी रूपया को वापिस करने या फिर विपक्षी के कहे अनुसार दूसरे व्यक्ति के पक्ष में बैनामा करने के लिये हुआ था। अपीलकर्ता ने परिवादी /विपक्षी को कोई चैक नहीं दी। यदि अपीलकर्ता विपक्षी /परिवादी को चैक देता तो अपीलकर्ता एक चैक परिवादी/विपक्षी व दूसरी चैक उसके पुत्र निशान्त राय को देता क्योंकि मुहायदानामा दिनांक 07–10–2013 परिवादी/विपक्षी व उसके पुत्र निशान्त राय के पक्ष में निस्पादित किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा परिवादी /विपक्षी के कहे अनुसार अपीलकर्ता ने अपने बैंक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरूआसागर के खाता सं०–35769551794 से परिवादी/विपक्षी के पुत्र प्रशान्त राय को मु०–7,50,000/–रू० चैक सं०–893656 से दिनांक 25–05–2018 को अदा किये जा चुके है। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेन्ट फेहरिस्त के साथ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। परिवादपत्र में दर्शित चैकों को अपीलकर्ता के मांगने पर विपक्षी /परिवादी द्वारा वापिस नहीं किया गया। विपक्षी/परिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवादपत्र में साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता का ब्यान स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था क्योंकि परिवादी/विपक्षी अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के ब्यान की तिथि को मु०अ०सं०–117/2018 धारा–376 भा०दं०सं० के मामले में जेल में निरूद्ध था। परिवादी/विपक्षी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध न्यायालयों में गम्भीर प्रवृत्ति के विभिन्न अपराध के केस चल रहे है।अपीलकर्ता को विपक्षी ने जो नोटिस दिये उसमें चैक दिये जाने के समय व स्थान तथा किस व्यक्ति के समक्ष दिया गया है। इसका उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद अवर न्यायालय ने नोटिस को विधिक मानते हुये त्रुटिपूर्ण निर्णय/आदेश दिनांकित–11.09.2024 पारित किया है।

विपक्षी/परिवादी की ओर से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी/विपक्षी ने चैक संख्या–692515 व 692513 के अनादृत होने के पश्चात अपीलार्थी/चैकजारीकर्ता को नोटिस देकर इसकी सूचना दी थी। नोटिस की अवधि की

समाप्ति के पश्चात उसने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष परिवादपत्र दिनांक 03–04–2019 को प्रस्तुत किया था। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष विपक्षी/परिवादी ने मूल रूप से दोनों चैक पत्रावली में प्रस्तुत किये थे जिनके अनादृत होने के सम्बन्ध में आख्या भी संलग्न की थी। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी /अभियुक्त को जारी नोटिस की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अवर न्यायालय ने विपक्षी/परिवादी के साक्षियों की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य के उपरान्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 11–09–2024 पारित किया है जो पूर्णतः विधिक है उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

अपीलार्थी की ओर से किये गये इस कथन में कोई बल नहीं है कि उसने दोनों चैक सिक्योरिटी के रूप में ओमी कुशवाहा के पास रखे थे क्योंकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने इस सम्बन्ध में न्यायालय की पत्रावली में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अनुसार दिनांक 03–04–2019 को विपक्षी/परिवादी ने एक परिवादपत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि परिवादी, अभियुक्त को भली–भाँति जानता है। अभियुक्त ने अपनी जमीन आराजी नं० –4263 स्थित मौजा फुटैरा, बरूआसागर, झाँसी के जुज भाग में 2 किता प्लाट क्रमशः 1370.82 वर्गमीटर एवं 694.70 वर्गमीटर, परिवादी एवं परिवादी के पुत्र निशांत राय के नाम विक्रय करने का सौदा 5,50,000/–रूपये में तय किया था एवं दिनांक 07.10.2013 को 4,80,000/–रूपये नगद प्राप्त कर सब–रजिस्ट्रार झाँसी के समक्ष हाजिर होकर उक्त दोनों प्लॉट्स का मुहायदानामा परिवादी एवं परिवादी के पुत्र निशांत राय के नाम दिनांक 08–10–2013 को रजिस्टर्ड कराया था। उक्त मुहायदावय रजिस्टर्ड होने के बाद परिवादी ने अभियुक्त से अनेक बार मौखिक रूप से व दिनांक 03–10–2015 को लिखित रूप से शेष 80,000/–रूपये प्राप्त कर दोनों प्लाटों का बैनामा परिवादी व परिवादी के पुत्र निशांत राय के नाम करने का निवेदन किया, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार टाल–मटोली करता रहा और बैनामा रजिस्टर्ड नहीं कराया। परिवादी ने परेशान होकर कस्बा के सम्मानित एवं प्रभावशाली लोगों को सारी बात बताकर अभियुक्त की शिकायत की, जिस पर अभियुक्ति को बुलाये जाने पर अभियुक्त ने कस्बा के सम्मानित लोगों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुये परिवादी से निवेदन किया कि वह उक्त प्लॉटों को अब बेचना नहीं चाहता है और परिवाद से लिए रूपये मय ब्याज एवं हर्जाना, परिवादी को 8,50,000/–रूपये अदा करने को तैयार है, जिस पर सम्मानित लोगों के समझाने एवं अभियुक्त से दोस्ताना रिश्ता होने के कारण परिवादी ने सहमति दे दी। अभियुक्त ने उक्त रकम अदायगी के एवज में दिनांक 10–01–2019 को सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा बरूआसागर, झाँसी के अपने बैंक खाता सं०–94042100000673 आई०एफ०एस०सी० कोड–PUNOSUPGB5 के दो चैक क्रमशः चैक संख्या–692515 दिनांकित 10–01–2019 मुवलिग 4,00,000/–रूपये की एवं चैक संख्या–692513 दिनांकित 10–01–2019 मुवलिग 4,50,000/–रूपये की परिवादी के नाम जारी कर परिवादी को दी। अभियुक्त द्वारा परिवादी के नाम जारी की गई उक्त दोनों चैकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए परिवादी ने उन्हें अपने बैंक खाता स्थित पंजाब नैशनल बैंक, शाखा बरूआसागर में जमा किया। दिनांक 23–02–2019 को परिवादी के बैंक ने परिवादी को ज्ञापन तारीखी 22–02–2019 सहित यह सूचना दी कि उसके द्वारा दाखिल उक्त दोनों चैकों के भुगतान हेतु अभियुक्त के खाता में पर्याप्त धनराशि मौजूद नहीं है , इसलिए उक्त दोनों चैकों से भुगतान सम्भव नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों चैकें अनादृत हो गई। बैंक से जानकारी प्राप्त होने पर परिवादी ने अभियुक्त को उक्त तथ्य से अवगत कराया और उक्त अदायगी के एवज में नगद रूपये का भुगतान करने को कहातो अभियुक्त टाल–मटोल

करने लगा, तब मजबूर होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया, तब उनके माध्यम से दिनांक 07–03–2019 को रजिस्टर्ड डिमाण्ड नोटिस अभियुक्त को उसके सही पते पर भेजा, जो अभियुक्त पर दिनांक 08–03–2019 को तामील हुआ, इसके बाद भी नियत समय गुजरने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को उसका पैसा अदा नहीं किया।

विद्वान अवर न्यायालय ने विपक्षी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13–02–2020 को धारा–138 एन०आई० एक्ट अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–251 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 02–12–2022 को दर्ज किये गये जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त ने दोनों चैक परिवादी/विपक्षी को दिये जाने से इन्कार किया और नोटिस तामीला के बावजूद विपक्षी/परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि अदा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में गलत कथन होना कहा। अपीलार्थी/विपक्षी के यह कहने पर कि वह विचारण चाहता है। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष विचारण प्रारम्भ हुआ। विचारण के दौरान विपक्षी/परिवादी ने मौखिक साक्ष्य में शपथपत्र साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें उसने अपने परिवादपत्र के कथनों का पूर्ण समर्थन किया ।

प्रति परीक्षा के बयान में परिवादी/विपक्षी ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त को लगभग 15–20 वर्षों से जानता है। उसके दो पुत्र प्रशान्त राय व निशान्त राय है। अभियुक्त से दो प्लाट विक्रय करने का सौदा हुआ , जो कि साढ़े पाँच लाख रूपये में हुआ था । दोनों प्लाटो का मुहायदावय उसके व उसके पुत्र व अभियुक्त के मध्य हुआ था। यह मुहायदा दिनांक 07–01–2013 को पैसा देकर दिनांक 08–10–2013 को रजिस्टर्ड हुआ था। मुहायदावय की प्रति पत्रावली में पेश की है। प्रति परीक्षा के बयान में विपक्षी/परिवादी ने यह कथन किया है कि चार लाख अस्सी हजार रूपये बैंक से निकालकर दिया था। प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू० –1 के रूप में परीक्षित विपक्षी/परिवादी ने यह कथन किया है कि दोनों चैक एक ही बैंक के थे। दोनों चैकों पर अभियुक्त ने अपने हस्तलेख में अपना नाम भरकर व तारीख डालकर दिये थे। दोनों चैक पर एक ही तारीख थी। चैक एकाउण्ट पेई था उस समय उसके अतिरिक्त कोई नहीं था।

इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एक चैक से दस लाख रूपये तक का भुगतान हो सकता है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने चार लाख रूपये एवं साढ़े चार लाख रूपये का चैक क्यों दिया, इसका विपक्षी/परिवादी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से किये गये उक्त तर्क में पर्याप्त बल इसलिये नहीं है क्योंकि एक चैक से दस लाख रूपये तक के भुगतान की सीमा होने के कारण चार लाख रूपये एवं साढ़े चार लाख रूपये के दो चैक दिया जाना गलत था, यह त्रुटिपूर्ण नहीं था, न ही इस पर कोई विधि रोक है।

प्रति परीक्षा के बयान में विपक्षी /परिवादी ने कहा है कि बैंक के मैमोरेण्डम से उसे चैक बाउन्स होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को न्यायालय में डी०डब्लू० –1 के रूप में परीक्षित कराया है। मुख्य परीक्षा के बयान में उसने कथन किया है कि उसने कमलापत राय के पुत्र प्रशान्त राय के कहने पर सात लाख पचास हजार रूपये का एक चैक दिनांक 25–05–2018 को प्रशान्त राय को दी जिसका भुगतान प्रशान्त राय ने उसी दिन करा लिया। इसके दो दिन बाद एक लाख रूपये नकद प्रशान्त राय को दिया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से डी०डब्लू० –1 के रूप में परीक्षित अपीलार्थी/अभियुक्त की मुख्य परीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या –2 पर उल्लिखित उक्त कथन को आधार बनाते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुहायदावय के सम्बन्ध में

जो अपीलार्थी/परिवादी के मध्य समझौता हुआ था उसके एवज में परिवादी के पुत्र प्रशान्त को सम्पूर्ण साढ़े आठ लाख रूपया का भुगतान अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से पूर्व में ही किया जा चुका था। ऐसे में सिक्योरिटी के रूप में दिये गये चैक को गलत ढंग से प्रस्तुत कर परिवादी ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गलत निर्णय एवं आदेश विद्वान अवर न्यायालय से पारित करा दिया है।

इस सम्बन्ध में अपीलार्थी/अभियुक्त का प्रति परीक्षा का यह बयान महत्वपूर्ण है जिसमें उसने कहा है कि मुहायदानामा जो किया था वह कमलापत राय व निशांत राय के नाम किया था। ऐसे में उसके द्वारा प्रशान्त राय को साढ़े सात लाख रूपये चैक के जरिये दिये जाना और एक लाख रूपया नगद दिये जाने के सम्बन्ध में किया गया कथन मुहायदानामा से सम्बन्धित समझौते के सापेक्ष था। यह इसलिये विश्वसनीय नहीं था क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त डी०डब्लू०–1 अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रति परीखा में पत्रावली में संलग्न चैक संख्या–692515 व चैक संख्या–692513 को अपने एकाउण्ट का होना कहा है और यह भी कहा है कि इन दोनों चैको पर उसके हस्ताक्षर है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रश्नगत चैको पर उसने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रति परीक्षा के बयान में डी०डब्लू० –1 ने यह कथन किया है कि ओमी कुशवाहा के सामने कमलापत राय से साढ़े आठ लाख रूपये में राजीनामा हुआ था। उसी के एवज में उसने उक्त दोनों चैक दिये थे। अपीलार्थी/अभियुक्त के प्रति परीक्षा के बयान पृष्ठ संख्या–3 व 4 पर किये गये उक्त कथन से उसके बयान अन्तर्गत धारा–251 दण्ड प्रक्रिया संहिता का खण्डन हो जाता है और ओमी कुशवाहा को सिक्योरिटी के रूप में दिये गये चैक के सम्बन्ध में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से किये गये कथन का भी खण्डन हो जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रति परीक्षा के बयान में यह स्वीकार किया है कि राजीनामा साढ़े आठ लाख रूपये में ओमी कुशवाहा के समक्ष हुआ और उसके एवज में उसने दोनों चैक दी थी। इसके अतिरिक्त डी०डब्लू० –1 ने प्रति परीक्षा के बयान में कथन किया है कि जिस दिन राजीनामा हुआ था उसके 2–4 दिन बाद चैक दी थी। प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–4 पर अपीलार्थी/अभियुक्त ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि चैक बाउन्स होने के बाद कमलापत राय की ओर से कमलापत राय के अधिवक्ता द्वारा दिया गया नोटिस उसे प्राप्त हुआ था। उसने यह भी कहा है कि उसे नोटिस के माध्यम से उसे जानकारी हुई थी कि कमलापत राय को दिये गये दोनों चैक डिसऑनर हो गये है। इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वयं अपनी प्रति परीक्षा के बयान में राजीनामा के बदले दोनों प्रश्नगत चैक विपक्षी/परिवादी को दिये जाना स्वीकार किया है। उनके डिसऑनर होने के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त होना भी स्वीकार किया है। प्रति परीक्षा के बयान में डी०डब्लू० –1 ने यह कथन किया है कि उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि कमलापत राय उक्त चैक का दुरूपयोग कर उससे पैसा वसूलना चाहते हैं। प्रति परीक्षा के बयान में डी०डब्लू० –1 ने यह कथन किया है कि यह बात सही है कि प्रशान्त राय के कहने पर जमीन विक्रय की थी। जमीन विक्रय करने का कार्य उसने प्रशान्त राय के कहने पर किया था।

विपक्षी/परिवादी की ओर से अपीलार्थी/अभियुक्त के प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या–5 के बयान को उदृत किया गया है और कहा गया है कि प्रशान्त राय को कोई भुगतान उसके खाते में अपीलार्थी/अभियुक्त ने किया है तो वह राजीनामा के सापेक्ष नहीं है और कमलापत के कहने पर नहीं किया गया है। प्रशान्त राय को किया गया भुगतान अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रशान्त राय के मध्य लेन–देन से सम्बन्धित था, न की कमलापत राय एवं अपीलार्थी/अभियुक्त के मध्य लेन–देन से सम्बन्धित था।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने पुत्र राजाखान को डी०डब्लू० 2 के रूप में

परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि मेरे पिता का आराजी नं०–4263 कटेरा मौजा बरूआसागर में प्लाट है। इनमें से दो प्लाटों का मोहायदा निशान्त राय को किया था। जिसमें निशान्त राय ने साढ़े चार लाख नगद रुपया मेरे पिता जी को दिया था। पच्छत्तर हजार बचा था जिसमें मेरे पिता जी ने सेक्योरिटी के रूप में हस्ताक्षर करके तीन चैक ओमी कुशवाहा को दी थी। मेरे पिता जी ने प्रशान्त राय को साढ़े सात लाख की एक चैक दी थी। जिसका भुगतान तुरन्त कर दिया गया। यह चैक 25/05/2018 को दी। उसी दिन उसका भुगतान कर दिया था। निशान्त राय ने सेक्योरिटी की चैकें वापस नहीं की थी। इसके बाद 27/05/2018 को मेरे पिता जी ने मेरे सामने एक लाख कैस प्रशान्त राय को दिया था। सेक्योरिटी के चैक मांगे तो बोले कि पापा के पास है। सेक्योरिटी के चैक वापस प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद विश्वास में लेकर मेरे पिता जी से दो रजिस्ट्री करवाई। एक किशन कुमार कुशवाहा के नाम और दूसरी चम्पा देवी के नाम। दोनों रजिस्ट्री कुल ग्याराह लाख बयालिस रुपए की हुई थी। प्रशान्त राय ने कहा कि घर पर चलकर पैसे दे रहे मगर पैसा नहीं दिया। उसके बाद चैक बाउन्स का केस हुआ। पैसा नहीं दिया। फिर प्रशान्त राय के पिता कमलापत ने झूठा मुकदमा लिखा दिया।

प्रति परीक्षा के बयान में डी०डब्लू० –2 ने कथन किया है कि मुहायदावय के बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तथा साढ़े आठ लाख रूपया में राजीनामा हुआ। साढ़े सात लाख रूपये की चैक प्रशान्त राय को दी गई। जिन चैकों का मुकदमा चल रहा है वह साढ़े सात लाख रूपये की चैक पहले दी गई थी। दोनों चैक सिक्योरिटी के रूप में उसके समक्ष कम्पनी बाग बरूआसागर में दी गई थी। उस समय ओमी कुशवाहा, कमलापत राय और उसके पापा थे। कम्पनी बाग के पास प्रथम स्वीट्स की दुकान है वहाँ पर चैक दी गई थी।

इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से परीक्षित साक्षी राजाखान ने डी०डब्लू०–2 के रूप में प्रति परीक्षा के बयान में प्रश्नगत चैको को अपने सामने दिया जाना स्वीकार किया है और उस स्थान का उल्लेख भी किया है जहाँ पर दोनों चैक दिये गये थे।

डी०डब्लू०–2 का प्रति परीक्षा का पृष्ठ संख्या–3 का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें उसने कथन किया है कि जो मामला विचाराधीन है , प्रशान्त राय से उसका कोई लेना–देना नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त के साक्षी ने स्वयं कहा है कि प्रशान्त राय का विचाराधीन मामले से कोई लेना–देना नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी/अभियुक्त का अपील में लिया गया यह आधार बलहीन हो जाता है कि राजीनामा जो साढ़े आठ लाख रूपये में हुआ था उसके एवज में अपीलार्थी/अभियुक्त ने साढ़े आठ लाख का भुगतान विपक्षी/परिवादी के पुत्र प्रशान्त राय को कर दिया था। प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–4 पर डी०डब्लू०–2 ने यह कथन किया है कि यह बात सही है कि साढ़े आठ लाख रूपये का राजीनामा तय होने के बाद चैकें दी गई थी। प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–4 पर डी०डब्लू०–2 ने यह कथन किया है कि जो रजिस्ट्री उसके पिता ने किशन कुशवाहा व चंपा देवी को करी थी उन्हीं दोनों से पैसों के लिये कहा तो चंपा देवी ने कहा कि पैसे प्रशान्त राय को दे दिये हैं। चंपा देवी को रजिस्ट्री हुई थी व साढ़े सात लाख रूपये के ऊपर कुछ रूपयों की थी। यह सही याद नहीं है। चंपा देवी को 2624 स्कवायर फिट की रजिस्ट्री की गई थी।

विपक्षी/परिवादी की ओर से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी के पुत्र प्रशान्त राय के खाते में जो साढ़े सात लाख रूपये अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा क्रेडिट होना दर्शित है वह चंपा देवी को हुई रजिस्ट्री का पैसा था। राजीनामा से सम्बन्धित पैसा नहीं था। परिवादी/विपक्षी की ओर से किये गये उक्त कथन में डी०डब्लू०–2 के पृष्ठ संख्या–4 पर प्रति परीक्षा में किये गये इस कथन "चंपा देवी को

रजिस्ट्री हुई थी वह साढ़े सात लाख रूपये से ऊपर कुछ रूपयों की थी तब उसके पिता ने किशन कुशवाहा व चंपा देवी से पैसों के लिये कहा तो चंपा देवी ने कहा कि पैसा प्रशान्त राय को दे दिये हैं। "

अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में चैक संख्या–692515 दिनांकित 10–01–2019 मुवलिग चार लाख रूपये की एवं चैक संख्या–692513 दिनांकित 10–01–2019 मुवलिग साढ़े चार लाख रूपये दायित्वों के निर्वहन में दिये जाने और उसके अनादृत होने के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि उसने ओमी कुशवाहा को चैक दी थी। कमलापत को कोई चैक नहीं दी थी। परन्तु यह भी कहा है कि चैक बाउन्स हुई थी बाद में नोटिस मिली थी। अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। उसने सफाई साक्ष्य में ओमी कुशवाहा को दो चैक दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और यहाँ पर अपीलार्थी/अभियुक्त का प्रति परीक्षा का यह बयान महत्वपूर्ण है जिसमें उसने कहा है कि उसने प्रशान्त राय को पूर्व में दिये गये सिक्योरिटी की तीनों चैक वापस माँगी तब उसने बताया कि तीनों चैक पापा के पास रखी है। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त ने सिक्योरिटी के रूप में चैक ओमी कुशवाहा को दी थी तब उसको वह चैक ओमी कुशवाहा से माँगना चाहिये था। इसके विपरीत अपीलार्थी/अभियुक्त ने ओमी कुशवाहा को साक्ष्य में प्रस्तुत कर इस तथ्य को प्रमाणित कर सकता था कि उसने ओमी कुशवाहा को सिक्योरिटी चैक दी थी, न कि विपक्षी/परिवादी को दी थी। ओमी कुशवाहा को अपीलार्थी/अभियुक्त ने साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया है कि मुकदमा झूठा है। उसने कमलापत राय और उनके बेटे प्रशान्त राय व निशान्त राय से जमीन का मुहायदा किया था। साढ़े पाँच लाख रूपये का मुहायदा था जिसमें से चार लाख अस्सी हजार हमको नगद दिया था। मुहायदा का समय निकल गया। मुहायदा नहीं किया। फिर हमारे बीच ब्याज मिलाकर साढ़े आठ लाख रूपये देने का सुलह हुआ था तब साढ़े सात लाख रूपये का चैक प्रशान्त राय के नाम से दिया था। कमलापत राय के कहने पर दिया था जो कैश हो गया था। एक लाख रूपया नगद दिया था और हमसे बाइस लाख रूपया और ले चुके है। इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त ने मुहायदा से सम्बन्धित साढ़े आठ रूपया में परिवादी/विपक्षी से सुलह होने के तथ्य को स्वीकार किया है। प्रश्नगत दोनों चैक की धनराशि साढ़े आठ लाख रूपये ही है। दोनों चैक अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वयं के हस्ताक्षर में होना अपने प्रति परीक्षा के बयान में पृष्ठ संख्या–3 पर स्वीकार किया है। उक्त दोनों चैक अपने एकाउण्ट का होना भी स्वीकार किया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त ने राजीनामा के एवज में साढ़े आठ लाख रूपये का चैक दिया जाना अपने प्रति परीक्षा के बयान में स्वीकार किया है। चैक अनादृत होने से सम्बन्धित नोटिस प्राप्त होने के तथ्य को भी अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वीकार किया है। अपने प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ–4 पर स्वीकार किया है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया है कि उसने साढ़े सात लाख रूपया का चैक प्रशान्त राय के नाम से दिया था। प्रशान्त राय को साढ़े सात लाख रूपया का चैक अपीलार्थी/अभियुक्त ने दिया था इसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य उसके द्वारा सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक लाख रूपये प्रशान्त राय को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा नगद दिये जाने के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और यहाँ पर डी०डब्लू०–2 का प्रति परीक्षा का यह बयान महत्वपूर्ण है जिसमें उसने कहा है कि जो मामले विचाराधीन है, प्रशान्त राय

से उसका कोई लेना–देना नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विचाराधीन मामले से सम्बन्धित कोई भुगतान प्रशान्त राय को नहीं हुआ। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से जो बैंक स्टेटमेण्ट की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है उससे यह जरूर दर्शित हो रहा है कि प्रशान्त राय को साढ़े सात लाख रूपये ट्रान्सफर किये गये है। परन्तु उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि यह साढ़े सात लाख रूपये अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसके तथा परिवादी/विपक्षी के मध्य हुये राजीनामा, जो कि साढ़े आठ लाख रूपये के सापेक्ष किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये बैंक स्टेटमेण्ट में प्रशान्त राय के खाते में साढ़े सात लाख रूपये का ट्रान्सफर दिनांक 25–05–2018 को दर्शित है। यदि दिनांक 25–05–2018 को मुहायदावय से सम्बन्धित राजीनामा के एवज में उक्त भुगतान दिनांक 25–05–2018 को परिवादी/विपक्षी के पुत्र प्रशान्त राय के खाते में कर दिया गया था तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा दिनांक 10–01–2019 को प्रश्नगत दोनों चैक क्यों जारी किये गये । इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से नहीं दिया गया है जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रश्नगत चैकों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

विद्वान अवर न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11–09–2024 में यह उल्लिखित किया है कि तदानुक्रम में उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैके निर्गत किये जाने के तथ्य से इन्कार किया गया और चैकें ओमी कुशवाहा नामक व्यक्ति को दिये जाने का कथन किया, तत्पश्चात् अपने उक्त कथन के अंतर्विरोधी कथन करते हुए कहा कि सिक्योरिटी के तौर पर उसने परिवादी को प्रश्नगत चैकें दीं, जिनका परिवादी ने दुरुपयोग किया। इस प्रकार दोनों कथन आपस में विरोधाभासी है और इस कारण अभियुक्त मामले को अपने पक्ष में सिद्ध करने के निमित्त कोई लाभ प्राप्त नहीं करता है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर डी०डब्लू०–1 पप्पू खाँ ने कथन किया है कि "मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। पत्रावली में संलग्न चैक संख्या–692515 व चैक संख्या–692513 मेरे बैंक खाते की मेरे एकाउण्ट की है। इन दोनों चैक पर मेरे हस्ताक्षर भी है। जो मैंने मुहायदानामा किया था, वह मैंने कमलापत राय व निशान्त राय के नाम से किया हुआ है। मैनें प्रशान्त राय के नाम से कोई मुहायदानामा नहीं किया था। ओमी कुश्वाहा के सामने कमलापत राय से आठ लाख पचास हजार रूपये मैं जो राजीनामा हुआ था, उसी के एवज में मैनें उक्त दोनों चैके दी थीं। खुद कहा कि मध्य को दी थी। जिस दिन राजीनामा हुआ था, उसके दो–चार दिन बाद उक्त दोनों चैकें दी थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि उक्त दोनों चैक बाउंस हुई थी या नहीं हुई थीं। यह बात सही है कि चैक बाउंस होने के बाद कमलापत राय की ओर से कमलापत के अधिवक्ता द्वारा दिया गया नोटिस मुझे प्राप्त हुआ था। जब मुझे नोटिस मिला, तब मुझे यह जानकारी हो गई थी की कमलापत को दी गई उक्त दोनों चैकें डिसऑनर हो गई हैं।" अर्थात जहाँ एक ओर परिवादी की ओर से, प्रश्नगत चैकें बाउंस होने के बाद, जरिए अधिवक्ता अभियुक्त को प्रेषित किया गया डिमाण्ड नोटिस की प्राप्ति का तथ्य अभियुक्त/डी०डब्लू०–1 पप्पू खाँ ने स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर उसका यह कथन कि मुझे यह जानकारी नहीं है कि उक्त दोनों चैकें बाउंस हुई थीं या नहीं, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि विधिक डिमाण्ड नोटिस की प्राप्ति के साथ ही अभियुक्त को यह जानकारी हो जाना साबित है कि उसके द्वारा दिये गये दोनों चैक बाउंस हो गये हैं। अभियुक्त /डी०डब्लू०–1 पप्पू खाँ ने प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि परिवादी कमलापत राय उक्त चैकों का दुरूपयोग कर उससे पैसा वसूलना चाहता है। इस संदर्भ में उक्त साक्षी ने अंकित कराया है कि मैनें ऐसी शिकायत भी नहीं की कि कमलापत राय उक्त बैंकों का दुरुपयोग कर मुझसे पैसा वसूलना चाहते हैं।

जहाँ तक धारा 138 एन०आई० एक्ट के आवश्यक तत्व का प्रश्न है कि चैक

किसी विधिक ऋण अथवा दायित्व के अंशतः अथवा पूर्णतः उन्मोचन के लिये जारी की गई थी, इस सम्बन्ध में 139 एन०आई० एक्ट उल्लेखनीय है जिसके अनुसार यह उपधारित (Presumption) किया जायेगा जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाये, यह माना जायेगा कि चैक के धारक द्वारा चैक जैसा कि धारा 138 एन० आई० एक्ट में दिया गया है, किसी ऋण अथवा दायित्व के अंशतः अथवा पूर्णतः उन्मोचन हेतु जारी किया गया था।

धारा 139 एन०आई० एक्ट की उपधारण खण्डनीय प्रकृति की है एवं उस उपधारण के खण्डन का भार अभियुक्त पर था, परंतु अभियुक्त इस उपधारणा का खण्डन परिवादी से जिरह करके तथा अपना सफाई साक्ष्य पेश करके नहीं कर सका है।

धारा 139 एन०आई० एक्ट की उपधारणा को खण्डित करने हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी०डब्लू०-1 कमलापत राय से विस्तृत प्रतिपरीक्षा / जिरह की गई है, किन्तु जिरह के अवलोकन से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा तथ्य दर्शित नहीं होता है, जो धारा 139 एन०आई० एक्ट में सृजित उपधारणा को खण्डित करता हो।

प्रश्गत परिवाद में अभियुक्त द्वारा किसी भी स्तर पर यह साबित नहीं किया जा सका है कि चैक उसके द्वारा परिवादी को नहीं दिया गया है अथवा उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है या परिवादी ने कपटपूर्ण तरीके से चैक प्राप्त की है और न ही बचाव पक्ष द्वारा कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया जा सका है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध सृजित उपधारणा खण्डित होती हो।

जहाँ तक अन्य मुकदमे में परिवादी कमलातपत राय के जिला कारागार, झाँसी में निरुद्ध रहते हुए धारा 200 दं०प्र०सं० के साक्ष्य शपथपत्र हस्ताक्षर कर दाखिल किये जाने के संदर्भ में अभियुक्त की आपत्ति का प्रश्न है , के सम्बन्ध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने विषयक प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.12.2019 पत्रावली पर उपलब्ध है और उक्त तिथि को परिवादी ने जिला कारागार, झाँसी से न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), झाँसी में तारीख पेशी पर उपस्थित आकर साक्ष्य शपथपत्र अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० हस्तगत परिवाद में दायर किया है, जिसके संदर्भ में उपरोक्त न्यायालय की आर्डरशीट्स पत्रावली पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क खण्डित होता है कि परिवादी द्वारा जेल में निरुद्ध रहते हुए अविधिक तरीके से धारा 200 दं०प्र०सं० का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन तथा मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की गहन समीक्षा व सम्यक विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त, 138 एन०आई० एक्ट की धारा में सृजित उपधारणा का खण्डन, अपने साक्ष्य से नहीं कर सका है, जबकि परिवादी अपने साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहा है कि उसके व अभियुक्त के मध्य निष्पादित हुए मुहायदानामा की शर्तों का अनुपालन न हो पाने व बैनामा न हो पाने के कारण अभियुक्त द्वारा परिवादी को मुहायदा के समय, परिवादी से प्राप्त की गई धनराशि 4,80,000/-रुपये, जोकि बाद ब्याज मुबलिग -8,50,000/-रुपये (आठ लाख पचास हजार रुपये) तय हुई, लौटाने के लिए अर्थात् अपने ऊपर परिवादी के विधितः उन्मोचनीय ऋण अथवा दायित्व के निर्वहन के लिए, दिनांक 10.01.2019 को सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा बरुआसागर, झाँसी के अपने बैंक खाता सं०-94042100000673 आई०एफ०एस०सी० कोड-PUNOSUPGB5 की दो चैके क्रमशः चैक संख्या-692515 दिनांकित 10.01.2019 मुबलिग-4,00,000/-रुपये एवं चैक संख्या-692513 दिनांकित 10.01.2019 मुबलिग-4,50,000/-रुपये की परिवादी को प्रदान की गई, जिन्हें नियत समयावधि में परिवादी द्वारा भुगतान हेतु पंजाब नैशनल बैंक, शाखा बरुआसागर, झाँसी में प्रस्तुत किये जाने

पर अभियुक्त/बैंक जारीकर्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण प्रश्नगत दोनों चैके अनादृत हो गयीं, जिसके सम्बन्ध में सूचना परिवादी को, दोनों चैकों के बावत् निर्गत पृथक-पृथक बैंक मैमो दिनांकित 22.02.2019 पर "Funds insufficient-Day opening balance insufficient की टिप्पणी के साथ, प्रेषित की गई और दोनों चैकें वापस कर दी गई। परिवादी ने अभियुक्त को विधिक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 07.03.2019 को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट प्रेषित किया, जिसके संदर्भ में नोटिस 9 ए व मूल रजिस्ट्री रसीद 10 ए प्रस्तुत किये गये एवं उक्त नोटिस दिनांक 08.03.2019 को अभियुक्त पर विधिवत् तामील हुआ, जिसके संदर्भ में नोटिस ट्रेकिंग स्टेटमैंट 11 ए प्रस्तुत किया गया, परंतु नोटिस में दी गई 15 दिन की समयावधि में जब अभियुक्त ने परिवादी को बैंक में अंकित धनराशि का भुगतान नहीं किया और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया, तो परिवादी ने दिनांक 03.04.2019 को प्रश्नगत परिवाद अंदर म्याद न्यायालय में दाखिल किया।

S 138. NI Act Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account.-Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for a term which may be extended to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:

Provided that nothing contained in this section shall apply unless-(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn on thin the period of its validity, whichever is PRISM AI - CHAT earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing, to the drawer of the cheque, [within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.

Explanation.-For the purposes of this section, "debt or other liability" means a legally enforceable debt or other liability.]

Section 139 in The Negotiable Instruments Act, 1881

It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.

S. 118 Presumptions as to negotiable instruments

Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:

(a) of consideration; that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, endorsed, negotiated or transferred, was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration;

(b) as to date; that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;

(c) as to time of acceptance; that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;

(d) as to time of transfer; that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;

(e) as to order of endorsements; that the endorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;

(f) as to stamp; that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;

(g) that holder is a holder in due course; that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: Provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an SP offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burthen of proving that the holder is a holder in due course lies upon him.

The trial Court, vide judgment dated 11.09.2024 convicted the appellant for committing offence under Section 138 NI Act on the following grounds:

(a) The appellant admitted that the said cheque bears his signature and it was drawn on his bank account and therefore, statutory presumption under Section 118 and 139 NI Act that the said cheque was issued in discharge of a legally recoverable debt or other liability is drawn;

(b) The defence that a blank signed cheque was given will not absolve the appellant unless it is shown by him that it was not issued in discharge of a debt or other liability;

(c) Bare denial of passing of consideration or pleading that the cheque was issued as a security will not rebut presumption under Section 118 and 139 NI Act;

(d) The defence of the appellant is inconsistent;

(e) The appellant failed to rebut presumption under Section 118 and 139 NI Act.

In Kumar Exports vs. Sharma Carpets, (2009) 2 SCC 513, Hon'ble Supreme Court of India held as under:

As soon as the complainant discharges the burden to prove that the instrument, say a note, was executed by the accused, the rules of presumptions under Sections 118 and 139 of the Act help him shift the burden on the accused. The presumptions will live, exist and survive and shall end only when the contrary is proved by the accused, that is, the cheque was not issued for consideration and in discharge of any debt or liability. A presumption is not in itself evidence, but only makes a prima facie case for a party for whose benefit it exists.

The use of the phrase "until the contrary is proved" in Section 118 of the Act and use of the words "unless the contrary is proved" in Section 139 of the Act read with definitions of "may presume" and "shall presume" as given in Section 4 of the Evidence Act, makes it at once clear that presumptions to be raised under both the provisions are rebuttable. When a presumption is rebuttable, it only points out that the party on whom lies the duty of going forward with evidence, on the fact presumed and when that party has produced evidence fairly and reasonably tending to show that the real fact is not as presumed, the purpose of the presumption is over.

In Bir Singh vs. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197, Hon'ble Supreme Court of India held as under:

Even a blank cheque leaf, voluntarily signed and handed over by the accused, which is towards some payment, would attract presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, in the absence of any cogent evidence to show that the cheque was not issued in discharge of a debt."

As regards contention that the said cheque was a security cheque, it can be stated that it is well settled that a cheque issued for discharge of existing liability as security would not absolve the accused from penal consequences under Section 138 NI Act.

In Sripati Singh vs. The State of Jharkhand & Anr., Crl. Appeal Nos. 1269-1270 of 2021 decided on 28.10.2021, Hon'ble Supreme Court of India held as under:

A cheque issued as security pursuant to a financial transaction cannot be considered as a worthless piece of paper under every circumstance. 'Security' in its true sense is the state of being safe and the security given for a loan is something given as a pledge of payment. It is given, deposited or pledged to make certain the fulfilment of an obligation to which the parties to the transaction are bound. If in a transaction, a loan is advanced and the borrower agrees to repay the amount in a specified timeframe and issues a cheque as security to secure such repayment; if the loan amount is not repaid in any other form before the due date or if there is no other understanding or agreement between the parties to defer the payment of amount, the cheque which is issued as security would mature for presentation and the drawee of the cheque would be entitled to present the same. On

such presentation, if the same is dishonoured, the consequences contemplated under Section 138 and the other provisions of N.I. Act would flow."

A post–dated cheque issued to secure repayment of a debt would mature for presentation, if debt is not paid or its payment is not deferred. Such a cheque is towards a legally enforceable debt or liability. In case of dishonour of such cheque, the complainant is entitled to prosecute the appellant for offence under Section 138 NI Act.

अपीलार्थी के द्वारा अपील में लिये गये आधार को प्रमाणित साक्ष्यों से पुष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपील में जो आधार लिये है वह विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के सापेक्ष पोषणीय नहीं हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त ने चैक संख्या–692515 दिनांकित 10–01–2019 मुवलिग चार लाख रूपये की एवं चैक संख्या–692513 दिनांकित 10–01–2019 मुवलिग साढ़े चार लाख रूपये स्वयं के खाते को अपने हस्ताक्षर से जारी किये जाना स्वीकार किया है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने उक्त दोनों चैक को उसके तथा विपक्षी /परिवादी के मध्य हुये मुहायदावय से सम्बन्धित राजीनामा के क्रम में साढ़े आठ लाख रूपये की स्वीकृत देनदारी के सम्बन्ध में सिक्योरिटी के रूप में दिया जाना स्वीकार किया है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दोनों चैक अनादृत होने के सम्बन्ध में उसे विधिक नोटिस प्राप्त हुआ है।

उक्त विश्लेषण के क्रम में यह स्पष्ट है कि विपक्षी /परिवादी के परिवादपत्र के कथनों के क्रम में धारा –139 एन०आई० एक्ट में प्रावधानित Presumption को Rebut करने का उत्तरदायित्व अपीलार्थी/अभियुक्त पर था। परन्तु उसने Rebuttal में कोई ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि धारा–139 एन०आई० एक्ट का Presumption Rebut हो सकें। इसलिये विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11–09–2024 में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि दर्शित नहीं हो रही है। इसके विपरीत उक्त आलौच्य निर्णय एवं आदेश विद्वान अवर न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित किया है। अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है जबकि विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11–09–2024 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी की फौजदारी अपील संख्या–81/2024 पप्पू खाँ बनाम सरकार उत्तर प्रदेश आदि निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11–09–2024 पुष्ट किया जाता है। अपीलार्थी के निजी बंधपत्र एवं प्रतिभू निरस्त करते हुये, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अपीलार्थी को सम्बन्धित न्यायालय विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०(14 वाँ वित्त आयोग), झाँसी के समक्ष मय सम्पूर्ण पत्रावली उसके निर्णय एवं आदेश दिनांकित–11.09.2024 के अनुपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये। इसके उपरान्त अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–15.07.2026

(शिव कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षर करके एवं दिनांक डालकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–15.07.2026

(शिव कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)